

प्ररूप 8

(नियम 13 (3) और 26 देखिए)

निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन

सेवा में,
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर,
-----विधान सभा /संसदीय \$ निर्वाचन-क्षेत्र के।
महोदय,
मैं निवेदन करता हूँ कि उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में आने वाली मुझसे संबंधित प्रविष्टि शुद्ध नहीं है और इसे शुद्ध कर दिया जाये। मेरे निवेदन के समर्थन में शुद्ध विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :-

1. आवेदक का ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई है)	
निर्वाचक नामावली के भाग की सं०	उस भाग में क्र०सं० :		
1 जनवरी.....#. कोआयु :	वर्ष :	मास :	लिंग (पुरुष / स्त्री) :
जन्म-तिथि, यदि ज्ञात है :	तारीख :	मास :	वर्ष :
*पिता माता पति	नाम	उपनाम (यदि कोई है)	
का नाम			

2. साधारण निवास स्थान की विशिष्टियां (पूरा पता)

मकान / गृह सं० :

गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क :

नगर/ग्राम :

डाकघर :

तहसील/तालुक/मंडल/थाना : पिन कोड : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

जिला :

3. निर्वाचक की फोटो पहचान पत्र के ब्यौरे (यदि इस या किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र में जारी किया गया है)

निर्वाचक की फोटो पहचान पत्र सं० :

निर्वाचन क्षेत्र का नाम :

4. शुद्ध की जानी वाली प्रविष्टियों के ब्यौरे

इस प्ररूप में ऊपर उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार मेरा नाम */ आयु */मेरे पिता*/माता*/पति का नाम*/लिंग */पता */निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र सं० *शुद्ध कर दिया जाये।

स्थान :

तारीख : निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

टिप्पण - जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दण्डनीय है।
\$ऐसे संघ राज्यक्षेत्र जहां विधान सभा नहीं है और जम्मू-कश्मीर राज्य की दशा में।
#कृपया वर्ष अर्थात् 2003, 2004 आदि दें।
*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारीजो.....का/की
निवासी है, से प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त हुआ।
तारीख.....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की ओर से
आवेदन प्राप्त करने वाले आफिसर के हस्ताक्षर
(पता)

**आवेदक द्वारा भरा जाएगा।